Title: Need to provide reservation benefits to students belonging to OBC category for admission in Navodaya Vidyalayas in the country.- Laid.

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के अनुसार भारत सरकार चरणाबद्ध रीति से जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.) खोलती जा रही है जो पूर्णतया सहशिक्षा वाले आवासीय विद्यालय हैं। अब तक पूरे देश में ४०८ विद्यालय प्रत्येक जिले में एक लक्षय के अनुसार खुल चुके हैं। सत्र १९९९-२००० में ५० ि वद्यालय और खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों का लक्षय मेधावी छात्रों को उचित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है जिसमें मात्र कक्षा छः में प्रवेश के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है। यही कक्षा छः में प्रविष्ठ बच्चे कक्षा १० एवं १२ की परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं।

संविधान के अनुसार प्रत्येक प्रवेश परीक्षा एवं चयन में आरक्षण की व्यवस्था है किन्तु इन नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों तथा लड़कियों को तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है किन्तु किसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में ८० छात्रों के कक्षा छः में प्रवेश का नियम है। यदि केवल ४०८ नवोदय विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष ३२६४० छात्र प्रवेश लेते हैं तो उनमें २७ प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के ८८१३ छात्रों के प्रवेश का संवैधानिक अधिकार का प्रत्येक वर्ष हनन हो रहा है। सबसे अधिक हानि उ.प्र. के पिछड़े वर्ग के छात्रों को है। १५२ विद्यालयों के प्रति ११४४ छात्र, दूसरे स्थान पर बिहार के पिछड़े वर्ग को ४८ विद्यालयों के प्रति १०५६ छात्र तथा तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों का ४५ विद्यालयों के प्रति ९९० छात्र प्रतिवर्ष इससे वंचित हो रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को पूरे देश के नवोदय विद्यालयों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करें।

*(Laid on the table of the House)